कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक :– 5811/14-1(PF/FP/UP/Road/40150/2019) / मुजफ्फरनगर दिनांक, 26/06/ 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
एन0एच0 डिविजन पी0डब्लू0डी0,
गाजियाबाद।

विषय– जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–334ए) लक्सर–पुरकाजी कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 के चौडीकरण हेतु 0.21है0 संरक्षित वन भूमि के वन संरक्षण(अधिनियम,1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।
ऑनलाईन **Proposal No. FP/UP/ Road/40150/2019**

संदर्भः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक–8बी0 /यू0पी0/04/06/24/2021/एफ0सी0/1269 दिनांक–24.02.2021

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 24.02.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी सहित आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त पत्र के माध्यम से जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–334ए) लक्सर–पुरकाजी कि0मी0 0.000 से कि0मी0 15.089 के चौडीकरण हेतु 0.21है0 संरक्षित वन भूमि के वन संरक्षण(अधिनियम,1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं को आवश्यक सूचना भारत सरकार द्वारा चाही गयी है जिसके क्रम में सूचना आज दिनांक–26.06.2021 तक भी उपलब्ध नही करायी गयी है। जिस कारण विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुपालन में अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनाऐं/ अभिलेख उपलब्ध कराने के स्थान पर अनावश्यक/अनाधिकृत रूप से आप द्वारा उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के परिवेश पॉर्टल पर डी0एफ0ओ0/डी0सी0एफ0 की तरफ किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः आप परियोजना से संबंधित किसी भिज्ञ अधिकारी को नामित करते हुए उन्हें निर्देशित करें कि वह भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–24.02.2021 द्वारा चाही गयी सूचना/ अभिलेख 05 प्रतियों में यथा शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध सुनिश्चित करें, ताकि विषयक प्रस्ताव भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–24.02.2021 के अनुपालन में अग्रेत्तर किया जाना सम्भव हो सके।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

26/6/21
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

संख्या 5811/14-1(PF/FP/UP/Road/40150/2019) / दिनांकित ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,(वन संरक्षण)उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2–वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त सहारनपुर ।

3–क्षेत्रीय वन अधिकारी मुजफ्फरनगर।

26/6/21
(सूरज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर।

o/c

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rrez.lko-mef@gov.in, gofmoeflko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/00/24/2021/एफ0सी0/1269

दिनॉक : 24.02.2021

सेवा मे,

गुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण)एवं नोडल अधिकारी,
17, राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ, उ0प्र0।

Online Proposal No. FP/UP/Road/40150/2019

विषयः जनपद मुजफ्फरनगर में नवीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग (एन0एच0–334ए), लक्सर–परकाजी किमी0 0.00 से किमी0 15.089 के चौड़ीकरण हेतु 0.21 हे0 संरक्षित वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के 59 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0–1773/11–सी- FP/UP/Road/40150/2019, लखनऊ, दिनांक – 21.01.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. No objection certificates of concerned departments needs to be submitted.
2. Component wise breakup of land required and land schedule needs to be submitted.
3. Detailed Muck calculation and Muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
4. The proposed land to diverted area is 0.10 ha.. which is lower than the actual proposed area.
5. As per georeferenced map. forest patch is missing from .kml file needs rectification. .kml file of complete route needs to be submitted.
6. The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 0.99 ha.
7. As per Google Earth imageries dated 20-04-2019. plantation activity is observed in land proposed for CA. this needs clarification and rectification.
8. The proposed CA land patch falls under Non-Forest category under FCA.

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रति (ईमेल द्वारा):
1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग, मुजफ्फरनगर।
4. अधिशासी अभियंता, एन0एच0 डिवीजन, पी0डब्ल्यू0डी0, गाजियाबाद।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

24.02.2021
(प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक–2193/11सी–FP/UP/ROAD/40150/2019 दिनांक, लखनऊ, फरवरी 25, 2021

प्रतिलिपि– वन संरक्षक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, एन0एच0 डिबीजन, पी0डब्लू0डी0, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ

011